



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 388/2015 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. हिस्ट्रीशीटर हरिओम सिंह पुत्र मुन्शी सिंह 2. शिवराम सिंह पुत्र मुन्शी सिंह 3. बल्लू सिंह पुत्र शिवराम सिंह नि0गण शंकरपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
निरी0 अनूप कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार